संख्या-475/2024/1317(1)/24-27-सिं-9-21 एसएवी/24

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 2024**

विषय: जनपद झांसी एवं जालौन में स्थित पम्प नहरों के जल वितरण प्रणाली की राजवाहों एवं अल्पिकाओं के पक्के कार्यों की मरम्मत के कार्य की परियोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1008/1375/परि0/कैम्प/बजट, दिनांक 08.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत परियोजना हेतु अनु0 सं0-94 के लेखाशीर्षक-4701-75-051-10-14-24 के अन्तर्गत रू0 199.28 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, जिसकी वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-466/2024/001/1317/24-27-सिं-9-21 एसएवी/24, दिनांक 16.07.2024 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के व्यय के ब्यौरेवार अनुमान में लेखाशीर्षक-4701-75-051-10-1015-24 तथा परिशिष्ट में लेखाशीर्षक-4701-75-051-10-14-24 में भिन्नता के दृष्टिगत धनराशि के आवंटन में आ रही तकनीकी समस्या के कारण शासनादेश संख्या-466/2024/001/1317/24-27-सिं-9-21 एसएवी/24, दिनांक 16.07.2024 को निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (नलकूप दक्षिण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, कानपुर।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, CMIS पोर्टल, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

वी0एन0 तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in